

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 66/2019 (2019/00024) प्रार्थना पत्र

उनवान

1. बरदु पिता भारू कुमावत निवासी डांग का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भुरा पिता चतरा कुमावत निवासी डांग का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुखीदेवी सुवालाल कुमावत निवासी डांग का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. चुन्नीलाल पिता पन्नालाल कुमावत निवासी डांग का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जाकिर पिता पीरू खां पठान निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रज्जाक खां पिता पीरू खां पठान निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सलीम खां पिता पीरू खां पठान निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लतीफ खां पिता पीरू खां पठान निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. आजाद खां पिता पीरू खां पठान निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. धर्मचन्द पिता नंगजीराम कुमावत निवासी चावण्डिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भैरू पिता डालु कुमावत निवासी डांग का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. मांगु पिता डालु कुमावत निवासी डांग का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. भंवर पिता डालु कुमावत निवासी डांग का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मंगनीराम पिता डालु कुमावत निवासी डांग का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. चम्पालाल पिता जय सिंह जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. बद्रीलाल पिता जय सिंह जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. जगदीश पिता जय सिंह जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. सुरेश पिता जय सिंह जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. सुवालाल पिता जय सिंह जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. सुवालाल पिता हजारी कुमावत निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. डालचन्द पिता हजारी कुमावत निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद -

निर्णय

अधिवक्ता प्रार्थीगण

दिनांक 14.08.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोटरा का खेड़ा पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2379 रकबा 0.02 हैक्ट. आराजी संख्या 2380 रकबा 0.01 हैक्ट. आराजी संख्या 2381 रकबा 0.08 हैक्ट. आराजी संख्या 2382 रकबा 0.56 हैक्ट. आराजी संख्या 2383 रकबा 0.64 हैक्ट. आराजी संख्या 2384 रकबा 0.47 हैक्ट. कुल कितना 6 कुल आराजी संख्या 1.78 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 74 पर स्थित हैं। इसी प्रकार आराजी संख्या 2385 रकबा 0.18 हैक्ट. आराजी

संख्या 2386 रकबा 0.16 हैक्ट. आराजी संख्या 2388 रकबा 0.16 हैक्ट. आराजी संख्या 2389 रकबा 0.16 हैक्ट. कुल किता 4 कुल रकबा 0.66 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 131 पर दर्ज होकर स्थित हैं। इसी प्रकार आराजी संख्या 2387 रकबा 0.17 हे० कुल किता 01 कुल रकबा 0.17 हे० भूमि राजस्व खाता संख्या 134 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों ओर सीमाओं के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने की वजह से पक्षकारन में दरमियान आपस सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा होते रहते हैं तथा प्रार्थीगण को घास आदि काटने में, फसल काशत करने, आराजियात को विकसित करने के समय आपस में सीमा का विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढ़ी कराने बाबत कहां लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे हैं। प्रार्थीगण ने दिनांक 30.04.2019 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इंकार हो गये जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश प्रस्तुत करना पड़ा है। विपक्षीगण प्रार्थी के आराजियात के पड़ोसी होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 16.05.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 2 से 6 व 12, व 14 से 16 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। एवं विपक्षी संख्या 1, 7 से 13 व 17, 18 के विरुद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देश नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम मोटरा का खेड़ा पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 2379 रकबा 0.02 हैक्ट. आराजी संख्या 2380 रकबा 0.01 हैक्ट. आराजी संख्या 2381 रकबा 0.08 हैक्ट. आराजी संख्या 2382 रकबा 0.56 हैक्ट. आराजी संख्या 2383 रकबा 0.64 हैक्ट. आराजी संख्या 2384 रकबा 0.47 हैक्ट. कुल किता 6 कुल रकबा 1.78 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 74 पर स्थित हैं। इसी प्रकार आराजी संख्या 2385 रकबा 0.18 हैक्ट. आराजी संख्या 2386 रकबा 0.16 हैक्ट. आराजी संख्या 2388 रकबा 0.16 हैक्ट. आराजी संख्या 2389 रकबा 0.16 हैक्ट. कुल किता 4 कुल रकबा 0.66 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 131 पर दर्ज होकर स्थित हैं। इसी प्रकार आराजी संख्या 2387 रकबा 0.17 हे० कुल किता 01 कुल रकबा 0.17 हे० भूमि राजस्व खाता संख्या 134 पर दर्ज होकर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी विपक्षीगण की कब्जे काशत की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारन करा दें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रूपये 200/- अक्षरे दो सौ रूपये पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी की कमिश्नर फीस 1000/- अक्षरे एक हजार रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर

तान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।


गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा